न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 176/2018

अनवान :

1. राकेश पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. विजेन्द्र पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. रायसिंह पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. ज्योति पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : वादीगण

वकील श्री सुरेन्द्र बेनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :** 11.9.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि चक 6 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 121/88 के मु.न. 49 के किला नं. 19 से 25, मु.न. 57 के किला नं. 11, 20, 21, मु.न. 58 के किला नं. 1 से 25, मु.न. 73 के किला नं. 1 से 25, मु.न. 74 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, मु.न. 79 के किला नं. 1, 2 व 9 से 12, मु.न. 80 के किला नं. 1 से 15, 17 से 20 कुल 22.7700 हैक्टर जिसमें नहरी 20.9770 हैक्टर, बारानी 1.5180 हैक्टर, गैरमुमकिन खाला 0.2750 हैक्टर है, में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 430 हिस्सा भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है।

वादी का पड़दादा मामचन्द व मघा दो भाई थे जो सुखराम के बेटे थे, मघा के एक मात्र पुत्र घड़सी व मामचन्द के एक पुत्र सुरजाराम था, मघा व मामचन्द दोनों पुत्रो का देहान्त अपने अपने पिता की जीवनकाल में हो गया था, घड़सी पहले फौत हो गया, व उसके पांच सात साल बाद सुरजाराम फौत हो गया था, घड़सी बड़ा था जो शादी शुदा था, जिसकी पत्नी का नाम लिछमी था, घड़सी की मृत्यु के कुछ समय बाद ही मघा का देहान्त हो गया। इसलिए मघा के 1/2 हिस्सा वाली भूमि लिछमी को मिली, जिसने घड़सी की मृत्यु के बाद लिछमी मामचन्द के पुत्र सुरजाराम के साथ करेपा कर लिया व नाते चली गई, जिससे फिर सुरजा के चार पुत्र दलीपसिंह, भूपसिंह, रायसिंह व रणसिंह पैदा हुए, व इसी दरिमियान सुरजाराम अपने पिता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मामचन्द के जीवनकाल में फौत हो गया था, तथा मामचन्द के फौत होने के बाद मामचन्द वाली भूमि सीधी सुरजाराम के चारों पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण के पिता को अपने दादा से सीधी प्राप्त हुई है, जो दादालाई पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा प्रतिवादी के नाम दर्ज 430 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 जन्म से बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादिया संख्या 2 वादीगण की सगी बहने है जो प्रतिवादी सं. 1 की कुल तीन संतान है एवं उक्त भूमि के बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य पारिवारिक समझौता परिवार में सुख शान्ति स्थापित स्वेच्छा से दिनांक 08.07.2018 को हो गया, जिसमें प्रतिवादिया सं. 2 ने अपन पिता के जीवनकाल में मिलने वाला वाद भमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 430 हिस्सा भूमि के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये। यही बिनाय दावा है।

वादभूमि में वादीगण ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है। वादीगण ने प्रतिवादी सख्या 01 को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में विजेन्द्र पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 6 एम.आर.एन. सम्वत 2073–76 खाता संख्या 121/88 प्रदर्श 1, नामान्तकरण संख्या 26 प्रदर्श 2, जमाबंदी 2029–38 भू प्रबंध विभाग प्रदर्श 3 जो सात प्रतियो में है, असल वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मोजा चक 6 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 121/88 के मु.न. 49 के किला नं. 19 से 25, मु.न. 57 के किला नं. 11, 20, 21, मु.न. 58 के किला नं. 1 से 25, मु.न. 73 के किला नं. 1 से 25, मु.न. 74 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, मु.न. 79 के किला नं. 1, 2 व 9 से 12, मु.न. 80 के किला नं. 1 से 15, 17 से 20 कुल 22.7700 हैक्टर जिसमें नहरी 20.9770 हैक्टर, बारानी 1.5180 हैक्टर, गैरमुमकिन खाला 0.2750 हैक्टर है, में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 430 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर के अनुसार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अत: वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 121/88 के मु.न. 49 के किला नं. 19 से 25, मु.न. 57 के किला नं. 11, 20, 21, मु.न. 58 के किला नं. 1 से 25, मु.न. 73 के किला नं. 1 से 25, मु.न. 74 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, मु.न. 79 के किला नं. 1, 2 व 9 से 12, मु.न. 80 के किला नं. 1 से 15, 17 से 20 कुल 22.7700 हैक्टर जिसमें नहरी 20.9770 हैक्टर, बारानी 1.5180 हैक्टर, गैरमुमकिन खाला 0.2750 हैक्टर है, में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 430 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनो को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं0 2 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात उक्त 430 हिस्सा के वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...11.9.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 176/2018

अनुवान :

1. राकेश पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. विजेन्द्र पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. रायसिंह पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. ज्योति पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 121/88 के मु.न. 49 के किला नं. 19 से 25, मु.न. 57 के किला नं. 11, 20, 21, मु.न. 58 के किला नं. 1 से 25, मु.न. 73 के किला नं. 1 से 25, मु.न. 74 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, मु.न. 79 के किला नं. 1, 2 व 9 से 12, मु.न. 80 के किला नं. 1 से 15, 17 से 20 कुल 22.7700 हैक्टर जिसमें नहरी 20.9770 हैक्टर, बारानी 1.5180 हैक्टर, गैरमुमकिन खाला 0.2750 हैक्टर है, में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 430 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनो को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं0 2 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात उक्त 430 हिस्सा के वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....11.9.18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ